

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक: 29 JUN 2021


आदेश

शासकीय आदेश दिनांक 18.02.2019 एवं दिनांक 19.02.2019 से गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसरण में विभाग द्वारा दिनांक 22.07.2019 से राज्य में खनिज जिप्सम हेतु डीलर/स्टॉकिस्ट का रजिस्ट्रेशन एवं ई-टी.पी. के जनरेशन को बन्द किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा ई-टी.पी. के संबंध में विचार करने के उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 92 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप डीलर/स्टॉकिस्ट को नियमानुसार ई-टी.पी. जनरेशन को चालू किये जाने की अनुमति दी जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

-आज्ञा से,


(नीतू बारूपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री खान एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)/सतर्कता
5. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता, (सतर्कता)/खनि अभियंता, (सतर्कता) सहायक खनि अभियंता, (सतर्कता) द्वारा निदेशक, खान उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


Sme ti

शुभ

01/07/2021

CC-IV




संयुक्त शासन सचिव